

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)नियमितिकरण/अलेसे-III

दिनांक :- 3-09-14

आदेश संख्या: 66 2014-15

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के वर्ष 2008 के बैच के निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार जिन्हें दो वर्ष के परिवीक्षा प्रशिक्षण काल पर नियुक्ति दी गई थी, को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम- 1963 के नियम- 34 के अन्तर्गत दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख कालम से अंकित तिथि से स्थाई किया जाता है :-

क्र. सं.	मेरिट नं. /लिंग नम्बर	नाम कनिष्ठ लेखाकार	जन्म तिथि	कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्य ग्रहण तिथि	परिवीक्षा प्रशिक्षण काल पूर्ण करने की तिथि	स्थाई करण तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10/9167	श्री गिराज प्रसाद मीणा	20.07.88	25.05.12	24.05.14	25.05.14	—
2	15/9172	श्री सुभाष चन्द शर्मा	24.07.86	21.05.12	20.05.14	21.05.14	—
3	25/9182	श्री मनीष बल्दवा	26.06.80	21.05.12	20.05.14	21.05.14	—
4	39/9195	श्री अरविन्द बोथरा	17.03.78	21.05.12	20.05.14	21.05.14	—
5	63/9218	श्री सुभाष चन्द डीगवाल	03.03.72	31.05.12	30.05.14	31.05.14	—
6	74/9228	श्री रामचरण मीणा	05.07.82	29.05.12	28.05.14	29.05.14	—
7	89/9242	श्री मकखन लाल बुनकर	20.07.80	28.05.12	27.05.14	28.05.14	—
8	102/9253	श्रीमती ललिता देवी	10.10.87	23.05.12	22.05.14	23.05.14	—
9	104/9255	श्री पुजारी ठाकुर सिंह	01.06.86	23.05.12	22.05.14	23.05.14	—
10	153/9301	श्री धर्मेन्द्र सिंह	01.01.86	23.05.12	22.05.14	23.05.14	—
11	24/9181	श्री दयानन्द मीणा	27.11.84	21.05.12	20.05.14	21.05.14	पूर्व आदेश क्रमांक 52/2014-15 दिनांक 17.07.2014 (क्रम सं. 06) में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 07.08.2014 के संदर्भ में संशोधन
12	47/9203	श्री महेन्द्र कुमार वर्मा	10.07.86	25.05.12	24.05.14	25.05.14	पूर्व आदेश क्रमांक 52/2014-15 दिनांक 17.07.2014 (क्रम सं. 21) में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 07.08.2014 के संदर्भ में संशोधन
13	106/9257	श्री सुरेश कुमार	01.07.78	25.05.12 (म.प.)	25.05.14	26.05.14	क0 ले0 पद पर प्रथम उपस्थिति तिथि 25.05.2012 (म.प.) होने के कारण पूर्व आदेश क्रमांक 52/2014-15 दिनांक 17.07.2014 (क्रम सं. 48) में संशोधन

उक्त क0 लेखाकारों को स्थाईकरण तिथि से पे बैंड 9300-34800 में मूल वेतन 12900 (9300 + 3600 ग्रेड पे) एवं नियमानुसार भत्ते देय होंगे।

कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के नोटिफिकेशन एफ.1(2)एफडी/रुल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 के बिन्दु 03(iv) के निर्देशानुसार राजस्थान सेवा नियम 26 के अन्तर्गत किया जावेगा।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)नियमितिकरण/अलेसे-III / 6053-6083 दिनांक :- 3-09-14
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
3. उप निदेशक, (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
5. श्री, क0 लेखाकार, कार्यालय

(डा0 अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)